न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व विविध :– 261/2017

प्रार्थीगण:

1. टीलाराम पुत्र दुर्गाराम
2. ओमप्रकाश उर्फ ओमाराम पुत्र दुर्गाराम जाति माली
3. श्रीमती लीलादेवी पत्नी सांवलराम जाति घांची
   निवासीयान कानाना तह. पचपदरा जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. हरीराम पुत्र प्रतापराम जाति माली
2. मोहनराम पुत्र प्रतापराम जाति माली
3. खीमाराम पुत्र प्रतापराम जाति माली
4. मेहराराम पुत्र प्रतापराम निवासीयान
   कानाना तह. पचपदरा जिला बाड़मेर
5. मैनेजर S.B.B.J कम. S.B.I. शाखा पारलू
6. तहसीलदार पचपदरा

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक :– 17-4-2018

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से

प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ पेश कर निवेदन किया कि राजस्व गांव कानाना पटवार क्षेत्र कानाना में निम्न वर्णित कृषि भुमियॉ अवस्थित हैः– कृषि भुमिया "अ" खसरा सं. 446 रकबा 18.00 बीघा खसरा सं. 447 रकबा 06.17 बीघा खसरा सं. 448 रकबा 05.03 बीघा खसरा सं. 449 रकबा 08.10 बीघा खसरा सं. 451 रकबा 02.14 बीघा खसरा सं. 452 रकबा 13.15 बीघा खसरा सं. 453 रकबा 00.14 बीघा कुल 55.13 बीघा कृषि भुमिया "ब" खसरा सं. 450 रकबा 21. 05 बीघा। वर्तमान जमाबंदी खतौनी में उक्त भुमियां प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है, उक्त भुमियो पर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" अनुसार माफिक आपसी बाहमी तफसीया राजीनामा से वर्षो से काबिज रहकर कास्त रहते रह रहे है, मौके पर कब्जा कास्त व रहवास भी इसी अनुसार है। प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे की कृषि भुमि खसरा सं. 450 रकबा 21.05 बीघा खसरा सं. 451 रकबा 02 बीघा 14 विस्वा, खसरा सं. 452 रकबा 13 बीघा 15 विस्वा, खसरा सं. 453 रकबा 14 विस्वा कुल रकबा 38 बीघा 08 विस्वा पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, और इसी अनुसार लिखित सहमति करार भी विप्रार्थीगण द्वारा स्वैच्छा से निष्पादित कर खसरा सं. 446 रकबा 18 बीघा, 447 रकबा 06.17 बीघा, खसरा सं. 448 रकबा 05.03 बीघा, 449 रकबा 8.10 बीघा, पर विप्रार्थी सं. 1 ता 4 का कब्जा काश्त एवं रहवास है, किन्तु जमाबन्दी में आज रोज भी प्रत्येक खसरे में नाम सम्मिलित रुप से दर्ज अंकित रहे है, जबकि विप्रार्थी सं. 1 ता 4 एवं उनके हकपुर्वाधिकारियों का भुमि खसरा सं. 450, 451, 452 व 453 पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा और न है, और न कभी कोई दखल हस्तक्षेप ही विगत 40 वर्षो से रहा, खसरा सं. 453 गैर मुमकिन बेरा में से विप्रार्थीगण ने अपना हिस्सा प्रतिफल की राशि प्राप्त कर निकाल दिया, इस प्रकार उक्त बेरा भी एकमात्र प्रार्थीगण के मालिकाना स्वामित्व का हुआ, रहा व है, इसी प्रकार प्रार्थीगण का खसरा सं. 446, 447, 448 व 449 में विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कोई दखल हस्तक्षेप या कब्जा नहीं रहा, विप्रार्थीगण के खेतो की सिचाई खसरा सं. 448 में अवस्थित बेरे से होती है। वाद पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में मार्क ABCDE भुमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा मार्क CDEFG पर विप्रार्थीगण का लगातार रुप से आपसी सहमति एवं सहुलियत अनुसार कब्जा काश्त कायम रहा व है, इस सम्बन्ध में लिखित संस्वीकृति भी प्रार्थीगण के हकपुर्वाधिकारी के हक में विप्रार्थीगण द्वारा स्वैच्छा से सन् 1999 एवं 2004 में निष्पादित कर दी, और मौके पर उक्त लिखित सहमति को संवत् 2024 की अक्षय तृतीया का ActUpon कर अलग अलग काबिज रहकर काश्त करते रहते रह रहे है। इस प्रकार परिशिष्ट "अ" में वर्णित मार्क ABCDE भुमि में प्रार्थीगण के विधिक हित निहित होकर वेस्ट हो गये, कृषि भुमियां "अ" व "ब" का कुल रकबा 76 बीघा 18 विस्वा होता है, जिसमें 1/2 हिस्से के खातेदार प्रार्थीगण, वादीनी सं. 3 मात्र खसरा सं. 450 मे 03 बीघा 11 विस्वा की खातेदार है, एवं 1/2 हिस्से के खातेदार विप्रार्थी सं. 1 ता 4 दर्ज है, 1/2 हिस्सा बराबर 38 बीघा 09 विस्वा भुमि कब्जे में आनी चाहिए, जो प्रार्थीगण के

...2.. पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

कब्जे काश्त में खसरा सं. 450, 451, 452 व 453 कुल रकबा 38 बीघा 08 विस्वा बनता है तथा विप्रार्थीगण के कब्जे में खसरा सं. 446, 447, 448, व 449 कुल रकबा 38 बीघा 10 विस्वा है, उक्त दोनों ही खसरों के मध्य वर्षो से हद बन्दी मेंड़बन्दी व तारबन्दी रही व है, असामाजिक तत्वों के द्वारा विप्रार्थीगण को उकसाने पर विप्रार्थीगण ने लालच में आकर अपनी व अपने हकपुर्वाधिकारियों की लिखित संस्वीकृति के विपरित जाकर वर्षो से किये गये सहमति बाहमी बंटवाड़े के अनुसार काबिज प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण के द्वारा तारीख 22.05.2017 को अनुचित रूप से दखल किया और मौके पर ऐलानियां रुप से धमकियां दी की वादपत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट अ' में मार्क ABCDE भुमि में से 03 बीघा भुमि यदि विप्रार्थीगण को उनके विधिक 1/2 हिस्से से अधिक नहीं दी तो मौके पर झगड़ा फसाद कर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल हस्तक्षेप करेगे तथा मौके पर की गई तारबन्दी व मेडबन्दी को तोड कर जबरन प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व रहवास में दखल करेगें, विप्रार्थीगण मौके पर असामाजिक तत्वों के गलत सलाह व सिखावे में आकर प्रार्थीगण के सुस्थापित निरन्तर रुप से कायम रहे कब्जे व काश्त रहवास में दखल हस्तक्षेप करने हेतु उतारु हुए, विप्रार्थीगण बाद समझाईश नही माने और मौका मिलते ही पुनः ऐसा करने की धमकी दी। विप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त रहवास में दखल किया जाता है, तो प्रार्थीगण को ऐसी अपुर्णिय क्षति होगी, जिसका मुल्याकंन मुद्रा में करना सम्भव नही होगा। प्रार्थीगण अपने कब्जा सुदा भुमि सें वचित रह जायेगें। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, बाद तामिल विप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से वकील ने मूल वाद में वकालात नामा पेश किया, तथा इस प्रकरण में उपस्थिती दर्ज करवाई, बावजुद अवसर विप्रार्थीगण ने जबाव प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस करना चाहा, जिस पर हमने उभय पक्षो की बहस सुनी, दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रकरण में अंतरिम स्थगन आदेश वाद प्रस्तुतीकरण के समय से ही प्रभावी है, दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करने से प्रार्थीगण को असुविधा व हानि होगी, तथा माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया, वकील विप्रार्थीगण ने उक्त कथनो का विरोध करते हुए, प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पक्षकारान् के अधिवक्ताओ को सुना, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया ।

बाद अवलोकन यह प्रतीत होता है, कि यदि वाद पत्र के विचाराधिन रहते विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के पुराने सुस्थापित कब्जा काश्त रहवास की भुमि में दखल हस्तक्षेप बाधा या अवरोध कारित करते है तो प्रार्थीगण को अपुर्णिय क्षति होगी, अनावश्यक ही व्यर्थ की अंतहीन मुकदमें–बाजी में अभिवद्धि होगी, प्रार्थीगण को असुविधा होगी तथा इस प्रकार इस स्तर पर अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा जारी करने के आवश्यक सभी बिन्दु प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का संतुलन, साम्या का सिद्धान्त, अपुर्णिय क्षति प्रार्थीगण के हक में विद्यमान पाये जाते है ।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित एवं निवारित किया जाता है, कि राजस्व गांव कानाना में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा सं. 450 रकबा 21.05 बीघा, खसरा सं. 451 रकबा 02.14 बीघा, खसरा सं. 452 रकबा 13.15 बीघा, खसरा सं. 453 रकबा 14 विस्वा कुल रकबा 38.08 बीघा भूमिया जिसे प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में मार्क ABCDE से दर्शाया गया है, को वाद पत्र के विचाराधिन रहते मौके की यथास्थिति बनाई रखे, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कोई दखल हस्तक्षेप नही करे। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

आदेश आज खुले न्यायालय में तारीख 17-4-18 को सुनाया गया ।

(भागीरथ राम R.A.S.)
सहायक कलेक्टर बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner